कार्यालय अंचल अधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

विविध वाद सं0-03/2025-26

प्रथम पक्ष :- सीताराम साहु, पिता देवीलाल साहु

बनाम्

द्वितीय पक्ष :- हेमन्त दास पिता बेदी दास वगै0

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तारीख सहित
17-11-2025	आवेदक सीताराम साहु, पिता देवीलाल साहु ग्राम बालुटुण्डा, पो0-नगरी, थाना निमियांघाट, जिला गिरिडीह के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते हुए सूचित किया गया है कि ग्राम बालुटुण्डा, खाता सं0-1+109, प्लॉट सं0-474 एवं 1643 रकवा 10.06 एकड़ भूमि प्रहलाद महतो जो आवेदक के परदादा मनु महतो को दिनांक 28.06.1944 को हांसिल है। आवेदक की पत्नी अनीता देवी एवं उनकी भाभी चरकी देवी के नाम खरिदगी है परन्तु विपक्षी द्वारा आवेदक के कागजात को गलत बतलाते हुए कब्जा किया जा रहा है जिसके आलोक में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जॉच कराई गई जिनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आवेदक सीताराम साहु, पिता देवी लाल साहु, साकिन-बालूटुण्डा, थाना निमियांघाट की पत्नी अनिता देवी के नाम से निबंधित केवाला सं0-5724 दिनांक 29.05.2000 से वादगत भूमि मौजा-बालुडुण्डा, थानानं0-124 खातासं0- $\frac{1+109}{214}$, प्लॉट सं0$\frac{1643}{2476}$ रकवा-22 डी0 एवं प्लॉट सं0$\frac{474}{2469}$ रकवा- 23 डी0 कुल रकवा 45 डी0 हांसिल है, जिसकी जमाबंदी पंजी-।। के जिल्द सं0-6 पृष्ठ सं0-63 पर कायम है एवं लगान रसीद निर्गत है। द्वितीय पक्ष 1. हेमन दास, पिता स्व0 छेदी दास, 2. दिनेश दास वो नरेश दास, पिता स्व0 लोलो दास, 3.डेगो दास वो विशुन दास, पिता स्व0 गुडा दास, 4.अर्जुन दास वो जागेश्वर दास,पिता स्व0 पुरू दास, 5. जगदीश दास, पिता स्व0 अघनु दास, सभी साकिनान बालुटुंडा, थाना निमियांघाट, जिला गिरिडीह इन सभी के पिता एवं दादा के नाम से मौजा बालुटुण्डा, थाना नं0-124, खाता सं0-1, प्लॉट सं0-1643 एवं 474 रकवा कमशः 2.42 एकड़ एवं 2.18 एकड़ कुल रकवा 4.60 एकड़ भूमि अमीन फरद इन्कम्बर्ड स्टेट हजारीबाग बन्दोबस्ती है एवं दूसरा किता गुंडा रविदास वगै0 पिता एतवारी रविदास के नाम से भूदान से प्राप्त है, जिसका मौजा बालुटुण्डा, थाना नं0-124, खाता सं0-1, प्लॉट सं0-1643/35, रकवा 1.18 एकड़ है। इसी भूमि को आवेदक के पिता एवं दादा द्वारा बिक्री किया गया, जिसका रकवा	

में अंतर है, जिस कारण उभय पक्ष को नोटिस निर्गत की गई। उभय पक्ष के द्वारा दावा से संबंधित राजस्व कागजात की छायाप्रति दाखिल की गई, जो अभिलेखबद्ध है। प्रथम पक्ष के द्वारा तर्क दिया गया कि उन्होने अपनी पत्नी अनिता देवी एवं भाभी चरकी देवी के नाम से मौजा-बालुडुण्डा, थाना नं0-124 खातासं0- $\frac{1+109}{214}$, प्लॉट सं0$\frac{1643}{2476}$ रकवा- 22 डी0 एवं प्लॉट सं0$\frac{474}{2469}$ रकवा- 23 डी0 कुल रकवा 45 डी0 केवाला सं0-5724, दिनांक 29.05.2000 द्वारा विकेता श्याम लाल महतो व प्रहलाद महतो, पिता ढुलास महतो, 2.डोमन महतो पिता सीतल महतो, 4. श्रीमती लखवा देवी पति श्री श्याम लाल महतो, 5.श्रीमती शान्ति देवी पति श्री प्रहलाद महतो साकिनान-असनासिंघा थाना डुमरी, जिला गिरिडीह से हांसिल की है जिसका दाखिल खारिज वाद सं0-1131/06-07 स्वीकृत हो कर वर्ष 2008-09 तक लगान रसीद निर्गत है जिसपर विपक्षी द्वारा फर्जी हुकुमनामा के आधार पर कब्जा किये जाने का प्रयास कर रहे है। विपक्षी के पूर्वज गुडा रविदास, वल्द श्री एतवारी, रविदास के द्वारा केता श्री बढन रविदास एवं श्री मनेजर रविदास रोशनाडुण्डा को निबंधित केवाला सं0-28093 दिनांक 18.11.74 से प्लॉट सं0-474/2592 रकवा 2.21 एकड़ मध्ये 25 डी0 बिकी की गई है। उक्त केवाला के अनुसार विकेता को भूमि बिहार सरकार के द्वारा बन्दोबस्ती से हांसिल है। पुनः वही भूमि का विपक्षी द्वारा फर्जी हुकुमनामा तैयार कर दावा किया जा रहा है, जिसे निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा अपने दावा में सादा हुकुमनामा, फरद रिपोर्ट अमीन बाबत पैमाइस दो लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया कि वादगत भूमि विपक्षी की है, जिसपर विपक्षीगण वर्षो से दखलकार है एवं सरकार को लगान का भुगतान भी कर रहे है। प्रथम पक्ष के द्वारा फर्जी कागजात बनवाकर कब्जा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है एवं दिग्भ्रमित किया जा रहा है। प्रथम पक्ष का आवेदन व दावा को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के द्वारा दिये गये दलील, राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संचित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्ष द्वारा मौजा-बालुडुण्डा, थानानं0-124 खातासं0- $\frac{1+109}{214}$, प्लॉट सं0$\frac{1643}{2476}$ रकवा- 22 डी0 एवं प्लॉट सं0$\frac{474}{2469}$ रकवा- 23 डी0 कुल रकवा 45 डी0 भूमि पर दावा किया जा रहा है। प्रथम पक्ष के द्वारा दावा के संबंध में निबंधित केवाला सं0-5724 दिनांक 29.05.2000 प्रस्तुत किया गया जिसका दा0खा0 वाद सं0-1131/06-07 के आधार पर पंजी-।। के भाग सं0-6 पृष्ठ सं0-63 पर जमाबंदी कायम हो कर लगान रसीद निर्गत है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दावा संबंधित कागजात में सादा हुकुमनामा एवं फरद रिपोर्ट अमीन बाबत पैमाइस प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलोकन से हुकुमनामा एवं फरद रिपोर्ट अमीन बाबत पैमाइस के निर्गत की तिथि 29.12.1947 अंकित है, जो की बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम

1950 के अनुसार जमीन्दारी उन्मूलन की तिथि 01.01.1946 के बाद निर्गत है, जिसके कारण विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किया गया सादा हुकुमनामा एवं फरद रिपोर्ट अमीन बाबत पैमाइस कागजात संदिग्ध एवं फर्जी प्रतीत होता है।

अतः विपक्षी के द्वारा दिनांक 29.12.1947 का प्रस्तुत सादा हुकुमनामा एवं अमीन फरद रिपोर्ट जो संदिग्ध एवं फर्जी होने के कारण उनके द्वारा किये जा रहे दावे को निरस्त किया जाता है एवं प्रथम पक्ष की ओर से निबंधित केवाला जो एक वैधानिक दस्तावेज है, जिसके आधार पर किये जा रहे दावा को स्वीकृत किया जाता है। उभय पक्ष आदेश से असंतुष्ट होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

17.11.25

अंचल अधिकारी,
डुमरी।

17.11.25

अंचल अधिकारी,
डुमरी।

Digitally signed by Shashi Bhushan Verma
Date: 2025.12.22 11:55:54 +05:30
Location: 192.168.101.5